अनुदान संख्या 12 – औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 12–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*20,00*	*14,44*	*–5,56*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	598,14,00	598,17,00	543,69,56	–54,47,44
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				51,26,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–		2,00,00	. .	–2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5000.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	1600.00				
				1544.10	1421.09	–123.01
पु.	R.	–55.90				
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	43308.00				
पू.	S.	2.00		37623.33	37547.68	–75.65
पु.	R.	–5686.67				
मुख्य शीर्ष ''2885'' उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals					
मू.	O.	2993.00				
पू.	S.	1.00		9092.00	9088.00	–4.00
पु.	R.	6098.00				
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	4673.00				
				4176.17	4093.39	–82.78
पु.	R.	–496.83				

(I) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 5005.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4850.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''परिवहन आर्थिक सहायता'' - 2300.00 लाख रु.।

(खा) ''संवृद्धि केंद्र'' - 1300.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.5005.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.4850.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Development of Backward areas Subsidies" - under the following heads:-

(A) "Transport Subsidy" – Rs.2300.00 lakhs;

(B) "Growth Centres" - Rs.1300.00 lakhs;

(गा) ''पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता स्कीम'' - 500.00 लाख रु.;

(घा) ''केंद्रीय ब्याज आर्थिक सहायता'' - 500.00 लाख रु.; और

(ङ) ''पूर्वोत्तर के लिए व्यापक बीमा स्कीम'' - 250.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''विस्फोटक - पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन'' के अंतर्गत 178.91 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरा कार्यक्रम होने, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा पट्टे पर ली गई लाइन प्रभारों पर कमी किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, गैस मुक्त परीक्षण बिलों की अदायगी न किए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने और सादगी उपायों के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद'' - 175.00 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और परियोजना की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना के संबंध में व्यय'' - 190.50 लाख रु. की बचत (1522.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विकास परिषद के अस्तित्व में न होने की वजह से अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए निधियां जारी न किए जाने और परियोजना कार्यकलापों यथा अपशिष्ट जल उपचार और जल प्रतिलाभ प्रक्रिया के विकास के शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(C) "Capital Investment Subsidy Scheme" – Rs.500.00 lakhs;

(D) "Central Interest Subsidy" – Rs.500.00 lakhs; and

(E) "Comprehensive Insurance Scheme for NE" – Rs.250.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2070" – "Explosives – Petroleum and Explosive Safety Organisation" – saving of Rs.178.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to less tour programme, reduction on leased line charges by Bharat Sanchar Nigam Ltd., non-filling up of vacant posts, non-payment of Gas Free Testing Bills, non-utilisation of funds by Central Public Works Department and austerity measures.

(III) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Cement and Non-metallic Mineral Industries – Others – National Council for Cement and Building Materials" – saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and slow progress of project.

(B) "General" -

(a) "Industrial Education Research and Training – Expenditure in connection with Science and Technology Plan" – saving of Rs.190.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1522.00 lakhs) was due to non-release of funds for research and development activities owing to non-existence of the Development Council and delay in taking up of the project activities viz. Waste Water Treatment and Development of Water Recovery Process.

(खा) "अन्य व्यय" -

(i) "उपक्रम निवेश संवर्धन क्रियाकलाप" - 1169.09 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मास्टर सेवा करार पर हस्ताक्षर किए जाने में विलंब होने, ई-बिज परियोजना का निष्पादन न किए जाने और नए क्रियाकलापों के लिए अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" - 1045.00 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चमड़ा क्षेत्र के अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत संघटकों में से एक की स्थापना के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुई।

(iii) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" - 3766.32 लाख रु. की बचत (26000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम मांग होने के कारण हुई।

(iv) "राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद" - 458.89 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परामर्शदात्री सेवाओं का लाभ प्राप्त करने और सर्वेक्षण और अध्ययन कराए जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे कम होने और कर्मचारियों के कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेडमार्कों का विनियमन - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक" के अंतर्गत 513.97 लाख रु. की बचत (4333.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और गृह पत्रिका के प्रकाशन के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 120.40 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत थीं।

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Undertaking Investment Promotion Activities" – saving of Rs.1169.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to delay in signing the Masters Service Agreement, non-execution of e-Biz project and non-approval of new activities.

(ii) "Indian Leather Development Programmes" – saving of Rs.1045.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to non-approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs for establishment of one of the components under Infrastructure Strengthening of Leather Sector.

(iii) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of Rs.3766.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26000.00 lakhs) was due to less demand by the implementing agencies.

(iv) "National Manufacturing Competitiveness Council" -saving of Rs.458.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for availing consultancy services and conducting surveys and studies in various identified priority sectors and delay in filling up of vacant posts, less medical reimbursement claims and officials tours.

(IV) Under Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks – Controller General of Patents, Designs and Trade Marks" – saving of Rs.513.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4333.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and in-house publication of Journal.

(V) Under two heads savings of Rs.120.40 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 20 percent and 30 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2310.33 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2006 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852'' -

(क) ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक'' - 962.33 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 933.55 लाख रु. था।

(ख) ''सामान्य - मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण - राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान'' - 249.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' - विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज'' - 1099.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''चयनित पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों इत्यादि को आर्थिक सहायता'' - 2827.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1701.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''विकास केंद्र'' - 820.00 लाख रु. का अधिक व्यय (195.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''केंद्रीय ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम'' - 1101.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) ''पूर्वोत्तर के लिए व्यापक बीमा स्कीम'' - 249.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly (Rs.2310.33 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs in December, 2006 under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" –

(a) "Consumer Industries - Others – Salt" - Rs.962.33 lakhs. Actual excess, however, was Rs.933.55 lakhs.

(b) "General – Standardisation and Quality Control - National Institute of Design" - Rs.249.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" - "Development of backward areas – Subsidies - Package for Special Category States" – Rs.1099.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2885" – "Development of backward areas – Subsidies" – under the following heads:-

(A) "Subsidy to New Industrial Units etc. in selected backward areas" – excess of Rs.2827.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1701.00 lakhs);

(B) "Growth Centres" – excess of Rs.820.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.195.00 lakhs);

(C) "Central Interest Subsidy Scheme" – excess of Rs.1101.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh); and

(D) "Comprehensive Insurance Scheme for NE" – excess of Rs.249.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00			

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान एक मामले में ''सामान्य - अन्य व्यय - पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कार्य को पूरा करने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "General – Other Expenditure – Modernisation and Strengthening of Patent Offices" – due to completion of work by National Building Construction Corporation and was eventually surrendered.